कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

<u>सार्वजनिक–नीलामी सूचना</u>

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून द्वारा निष्प्रयोज्य सामाग्री जो नगर निगम के मयूर विहार स्थित गोदाम में रखी गयी है, की सार्वजनिक नीलामी "जो जहाँ है जैसी है" की स्थिति में दिनांक–13.10.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे नगर निगम के मयूर विहार स्थित गोदाम में गठित समिति के सम्मुख खुली बोली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

अतः जो बोलीदाता नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, दिनांक– 13.10.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सार्वजनिक नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें नगर निगम देहरादून, के कार्यालय नोटिस बोर्ड एंव नगर निगम की वेबसाईट– www.nagarnigamdehradun.com में पर देखी जा सकती है।

नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

पत्रांक–954/भ्र०/न०नि०/दे०दून/2023-24 दिनांक –03/10/2023

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक, अमर उजाला समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक के कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति निशुल्क इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. सम्पादक, पंजाब केसरी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक के कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति निशुल्क इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. आई0टी0 ऑफिसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त सार्वजनिक– नीलामी सूचना सम्बन्धी समस्त विवरण नगर निगम देरादून की वेबसाईट– www.nagarnigamdehradun.com में तत्काल अपलोड करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम कार्यालय पर चस्पा करने हेतु।

03/10/2023

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

पत्रांकः– 953 / स्टो / न0नि0 / दे0दून0 / 2023–24 दिनांक– 03 / 10 / 2023

सार्वजनिक–नीलामी सूचना।

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून द्वारा निष्प्रयोज्य सामाग्री, जो नगर निगम देहरादून के मयूर विहार स्थित गोदाम में रखी गयी है, की सार्वजनिक नीलामी "जो जहाँ है जैसी है" की स्थिति में दिनांक–13.10.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मयूर विहार स्थित गोदाम में गठित समिति के सम्मुख खुली बोली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी दिनांक–13.10.2023 को मयूर विहार स्थित गोदाम में पूर्वाह्न 11:00 बजे गठित समिति की उपस्थिति में की जायेगी।
2. इच्छुक बोलीदाता नीलाम की जाने वाली सामग्रीयों की नीलामी तिथि से पूर्व दिनांक–11.10.2023 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से 5:00 बजे तक नगर निगम देहरादून के मयूर विहार स्थित गोदाम में चौकीदार के समक्ष निरीक्षण / देख सकते है।
3. नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व प्रतिभाग धनराशि के रूप में रू0 1,000 / – (एक हजार रूपये) नगद / चैक / डी0डी0 (डी0डी0, चैक वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम देहरादून के नाम हो) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है, जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। (Non Refundable)
4. प्रतिभाग धनराशि नीलामी की तिथि को पूर्वाह्न 10:30 बजे तक जमा करना होगा, उसके पश्चात किसी भी बोलीदाता की प्रतिभाग राशि जमा नहीं की जायेगी। प्रतिभाग राशि जमा किये बिना कोई व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
5. जिस बोलीदाता के नाम से प्रतिभाग राशि की धनराशि जमा की जायेगी, मात्र वही व्यक्ति नीलामी में प्रतिभाग कर पायेगा। किसी भी दशा में प्रतिनिधि मान्य नहीं होगा और न ही समूह का प्रवेश मान्य होगा।
6. बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व प्रतिभाग करने की राशि सम्बन्धी नगद / चैक / एफ0डी0आर0 / डी0डी0 की मूल प्रति के साथ पैन कार्ड व आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से नगर निगम कार्यालय के स्टोर (सामान्य) में जमा करानी होगी, तथा उसकी प्रति दिखाने के उपरान्त ही नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु मयूर विहार स्थित गोदाम में प्रवेश की अनुमति दी जोयगी।

(महेश कुमार)
स्टोर / रिकार्ड कीपर
लेखा लिपिक
नगर निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम, देहरादून

Scanned with CamScanner

7. नीलामी हेतु निष्प्रयोज्य सामाग्री की अनुमानित मात्रा घट बढ़ सकती है, एवं बोली निष्प्रयोज्य सामाग्री के न्यूनतम निर्धारित प्रति किलो ग्राम/प्रति नग दर की से उपर बोली जायेगी, जिस हेतु संलग्नकः– निष्प्रयोज्य सामाग्री की सूची में बोली हेतु न्यूनतम प्रति किलो ग्राम/प्रति नग दर एवं मात्रक निर्धारित की गयी है, बोलीदाता द्वारा निर्धारित सामाग्री की मात्रक के अनुसार ही बोली लगायी जायेगी, प्रत्येक बोलीदाता द्वारा न्यूनतम रू0 1/– के गुणांक में बोली बोली जायेगी।
8. बोलीदाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी।
9. समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी, जब विभागाध्यक्ष द्वारा यह बोली अनुमोदित कर दी जायेगी।
10. यदि समिति के संज्ञान में यह बात आती है कि बोलीदाताओं द्वारा आपस में टीम बना ली है तथा निष्प्रोज्य सामग्रीयों का उचित मूल्य न मिलने की दशा में नीलामी स्थगित की जा सकती है। जिस पर किसी भी बोलीदाता की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु नीलामी की तिथि को पूर्वाह्न 10:30 बजे तक धरोहर राशि (security money) के रूप रू0 20,000/– (बीस हजार रूपये) चैक/डी0डी0/एफ0डी0आर0 (जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम देहरादून के नाम हो) के माध्यम से नगर निगम कार्यालय के स्टोर (सामान्य) में जमा करना अनिवार्य है, किसी दशा में धरोहर राशि कि धनराशि सम्बन्धी मूल प्रति जमा किये बिना नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करना अनुमन्य नही होगा। उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीदाता को छोड़कर शेष सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि को नीलामी प्रक्रिया समाप्ति के उपरान्त अवमुक्त कर दिया जायेगा।
12. यदि उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलाम की गई सामग्री को उठाने से मना किया जाता है, तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तदोउपरान्त द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली गयी बोली पर विचार किया जा सकता है, अथवा नीलामी को निरस्त कर पुनः नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
13. कर, चुंगी, भाड़े, तुलाई आदि समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा।
14. उच्चतम बोली को विभागाध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी की गई सामग्री को तत्काल गोदाम परिसर से हटाना अनिवार्य होगा।
15. नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोलीदाता व सभी बोलीदाता की बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर दें।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उनका निपटारा विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जायेगा, जो सभी को मान्य होगा।
17. सार्वजनिक नीलामी की तिथि को अवकाश होने की दशा में नीलामी अगले कार्य दिवस में की जायेगी।

(महेश कुमार)
स्टोर / रिकार्ड कीपर
लेखा लिपिक
नगर निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम, देहरादून

Scanned with CamScanner

18. सार्वजनिक नीलामी से सम्बन्धित वाद का क्षेत्र न्यायालय, देहरादून होगा।

03/X/2023

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपिः—

1. मा0 महापौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय आदेश दिनांक—25.08.2023 द्वारा गठित समिति के समस्त सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
4. आई0टी0 ऑफिसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त सार्वजनिक—नीलामी सूचना सम्बन्धी समस्त विवरण नगर निगम देरादून की वेबसाईट— www.nagarnigamdehradun.com में तत्काल अपलोड करें।
5. कार्यालय प्रति।

03/X/2023

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

(महेश कुमार)
[illegible] / रिकार्ड कीपर नगर निगम, देहरादून
लेखा लिपिक
[illegible] निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम, देहरादून

Scanned with CamScanner

निष्प्रयोज्य सामाग्री की सूची।

क्र0सं0	सामाग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	बोली हेतु न्यूनतम दर (जी0एस0टी0 सहित)
1.	लोहा	3000 किलो ग्राम	रू0 35 प्रति किलो ग्राम
2.	तारकोल के खाली ड्रम	500 नग	रू0 200 प्रति नग
3.	स्टील	100 किलो ग्राम	रू0 50 प्रति किलो ग्राम
4.	टीन	50 किलो ग्राम	रू0 30 प्रति किलो ग्राम
5.	प्लासटिक	300 किलो ग्राम	रू0 15 प्रति किलो ग्राम
6.	पुराने टायर	100 नग	रू0 10 प्रति नग

(महेश कुमार)
स्टोर / रिकार्ड कीपर
लेखा लिपिक
नगर निगम,देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम, देहरादून

Scanned with CamScanner